

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

आदेश

एस0ए0आर0 वाद सं0 05/2018-19

प्रथम पक्ष..... ललु बड़ाईकआवेदक
बनाम
द्वितीय पक्ष कलेश्वर साहु वगैरह

30.8.12

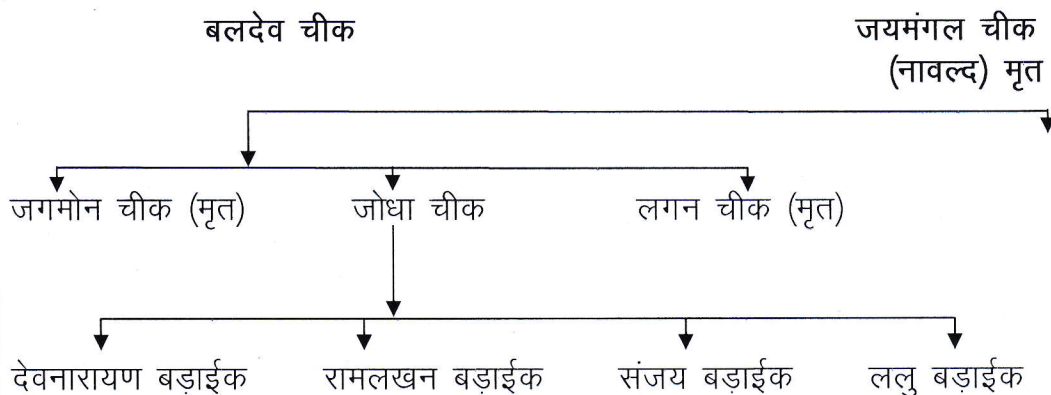
प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्रवाई आवेदक (प्रथम पक्ष) ललु बड़ाईक पिता - स्व0 जोधा बड़ाईक, ग्राम - लोंगा, थाना - बसिया, जिला - गुमला के आवेदन पर प्रारंभ किया गया है। आवेदक द्वारा लिखा गया है कि विपक्षी (द्वितीय पक्ष) कलेश्वर साहु एवं धनेश्वर साहु, दोनों के पिता - स्व0 नारायण साहु, ग्राम - लोंगा, थाना - बसिया, जिला - गुमला द्वारा उनके जमीन को नजायज तरीके से हस्तांतरण कराकर दखल में है। प्रथम पक्ष ललु बड़ाईक के आवेदन पर विचारोपरांत अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 अन्तर्गत वाद ग्रहण कर संबंधित उभय पक्षों को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही अंचल अधिकारी, बसिया से वादगत भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है।

वाद सं0 - 05/2018-19 अन्तर्गत वादगत भूमि की विवरणी निम्नलिखित है :-

मौजा	थाना	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
लोंगा	बसिया	63	495	0.39 ए0

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :-

प्रथम पक्ष नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद आवेदक ललु बड़ाईक के द्वारा जमीन वापसी के लिए विपक्षी के विरुद्ध लगाया गया है। प्रस्तुत वाद जमीन मौजा लोंगा के खाता सं0 - 63, प्लॉट सं0 - 495, रकबा - 0.39 एकड़ भूमि से संबंधित है जो आर0एस0 सर्वे खतियान के आधार पर बलदेव चीक वल्द मुकुन्द चीक व जयमंगल चीक, पिता - शहदेव चीक, जाति - चीक के नाम कायमी दर्ज है जिसकी वंशावली निम्नलिखित है :-



प्रश्नगत जमीन आवेदक की खतियानी जमीन को विपक्षी कलेश्वर साहु व धनेश्वर साहु नजायज तरीके से कब्जा किये हुए है और आवेदक की पिता की मृत्यु हो जाने के कारण विपक्षी द्वारा इसी का लाभ उठाया गया है। उपरोक्त जमीन को विपक्षी आवेदक के चाचा लगन चीक से उग फुसलाकर नजायज तरीके से रजिस्ट्र कर लिए है जो कानून के विपरित और न्याय संगत नहीं है। उपरोक्त जमीन सम्मिलात जमीन है और उस जमीन का जमाबंदी भी संयुक्त रूप से आवेदक के पूर्वजों के नाम से कायम है। उक्त जमीन आदिवासी जमीन है और आवेदक अनुसूचित जनजाति में आते हैं जो चीक बड़ाईक जाति के सदस्य हैं (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)। उक्त जमीन का स्थानांतरण में उपायुक्त की पूर्व अनुमति नहीं ली गई है और जमीन का स्थानांतरण छल प्रपंच एवं नजायज तरीके से किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है और कानून के विपरीत है। उक्त वाद में जमीन का स्थानांतरण छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 46 का उल्लंघन हुआ है। अंचल अधिकारी, बसिया के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जमीन का हस्तांतरण निबंधित पट्टा से सन 2002 में हुआ है और प्रस्तुत वाद 2017 में दाखिल किया गया है। अर्थात् जमीन का अंतरण की तिथि लगभग 14 वर्षों से है जो आवेदन में भी उल्लेखित है। अंचल के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है केवल ईट निर्माण हेतु गड्ढा खोदकर उपयोग किया जा रहा है।

श्रीमान से अनुरोध होगा कि झारखंड अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 छोटानागपुर टेनेंसी संशोधन अधिनियम 1969 के अधीन की आवेदन को प्रश्नगत जमीन वापस किया जाए और उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

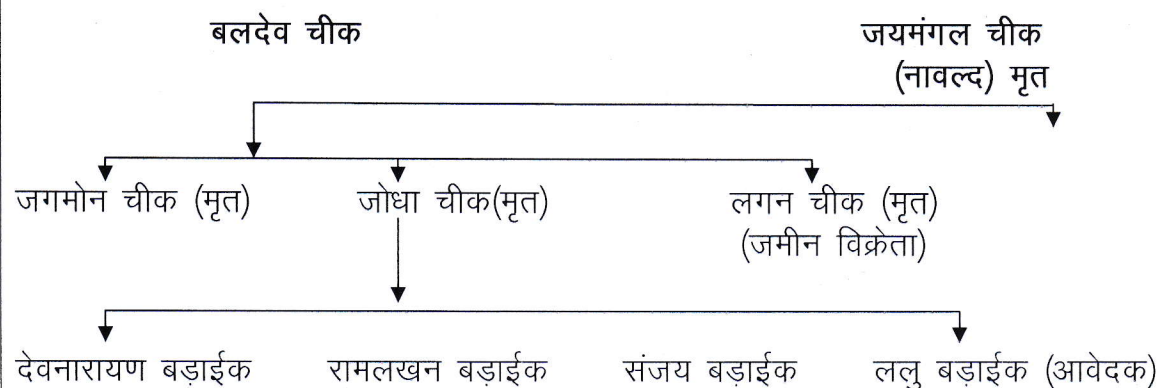
प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

- 1 खतियानी की छाया प्रति।
- 2 बण्डा पर्चा की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :-

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद विपक्षी के विरोध में एस0ए0आर0 वाद लाया गया है वह न्याय संगत नहीं है तथा वाद खारिज करने योग्य है।

मौजा लौंगा थाना संख्या - 140 थाना बसिया, जिला गुमला के खाता संख्या 63, प्लॉट नंबर - 495, रकबा 1.17 डिसमिल में से 0.39 डिसमिल भूमि से संबंधित है। जिसका खतियान रैयत बलदेव चीक वल्द मुकुंद चीक वो जयमंगल चीक वल्द सहदेव चीक कौम चीक के नाम से बना है। चीक जाति आदिवासी श्रेणी में नहीं आते हैं, चीक बड़ाईक आदिवासी श्रेणी में आते हैं। खतियानी रैयत का वंशावली इस प्रकार है :-



उपरोक्त खाता नंबर 63 प्लॉट नंबर 495 रकबा 1.17 डिसमिल में से 0.39 डिसमिल भूमि को आवेदक के चाचा लगन चीक पिता स्व० बलदेव चीक जाति — चीक के विपक्षीगण को रजिस्ट्री पट्टा 499 दिनांक 13.03.2002 ई० में बिक्री बैला कलामी लिख दी गई है। अंचल अधिकारी, बसिया के पत्रांक 267 दिनांक 25.02.2002 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत है। जिसमें चीक सामान्य जाति के अन्तर्गत आते हैं पट्टा में दर्ज है।

विपक्षीगण रजिस्ट्री पट्टा संख्या 499 दिनांक 13.03.2002 के खरीदगी में दखलकार होकर अपना नाम से अंचल कार्यालय बसिया से दाखिल खारिज कराये हैं। दाखिल खारिज वाद संख्या 115आर 27/2004-05 है। शुद्धि पत्र एवं सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत है। उस वक्त आवेदक एवं खतियानी रैयत के वंशज कोई आपत्ति दर्ज नहीं किये। आवेदक के आवेदन पत्र में जमीन वापसी का दावा पेश किया गया है, बिंदुवार लिखित जवाब :-

कंडिका 1. आवेदक का पूरा विवरण सही है।

कंडिका 2. क्या आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं — जी नहीं। संविधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 के अनुसार चीक बड़ाईक एवं है चीक जाति नहीं है। संविधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में फेरबदल नहीं हुआ है ना संशोधन हुआ है, लेकिन खतियान में कौम-चीक दर्ज है। सरकार झारखंड सरकार राजभाषा विभाग रांची के पत्रांक -7/झा०नि०सं० 32/2000 का 6327/ राँची दिनांक - 20 नवम्बर 2022 ई० में एवं उपायुक्त, गुमला के पत्रांक - 275 (i i)/सा०शाखा, गुमला दिनांक - 10.04.2013 के आलोक में स्थानीय जांच, रहन-सहन, वेश-भूषा खान-पान, लोकाचार तथा संस्कृति के आधार पर आवेदक को झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति में चीक बड़ाईक जाति सदस्य हैं। कार्यालय अंचल अधिकारी, बसिया क्रमांक 079 दिनांक - 26.10.2015 जाति प्रमाण पत्र निर्गत है एवं झारखंड राज्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड के विशेष सचिव के ज्ञापांक - 7/होल्डींग नीति 20/2009-591/रा० राँची दिनांक - 01.03.2012 के अनुसार चीक बड़ाईक अनुसूचित जनजाति के तालिका में है एवं चीक सामान्य जाति के तालिका में है।

कंडिका 3. वापसी की जाने वाली जमीन का विवरण — खाता नंबर 63, प्लॉट - 495, रकबा - 1.17 डी० में से 0.39 डी० भूमि विपक्षीगण का खरीदगी जमीन है। रजिस्ट्री पट्टा सं० - 499 दिनांक - 13.03.2002 ई० में है।

कंडिका 4 - जिस व्यक्ति का दखल में जमीन है विवरण — विपक्षी का दखल में जमीन है विपक्षीगण का खरीदगी जमीन है।

कंडिका 5- वापस की जाने वाली जमीन के अंतरण संबंधी विवरण — (क) जमीन के अंतरण तिथि रजिस्ट्री पट्टा 499 दिनांक 13.03.2002 ई० है। दाखिल खारिज वाद संख्या 115 आर 27/04-05 है।

(ख) क्या जमीन का अंतरण- विपक्षी का रजिस्ट्री पट्टा 499 दिनांक 13.03.2002 के द्वारा प्राप्त किया है अंचल कार्यालय बसिया के पत्रांक 267 दिनांक 25.02.2002 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जिसमें चीक सामान्य जाति के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) उत्तर — चीक सामान्य जाति में आते हैं। अंचल अधिकारी बसिया का जाति प्रमाण पत्र निर्गत है जिसमें चीक सामान्य जाति के अन्तर्गत आते हैं इसलिए उपायुक्त, गुमला से बिना अनुमति लिए रजिस्ट्री हुआ है जिसका रजिस्ट्री पट्टा संख्या 499 दिनांक 13.03.2002 है।

(घ) उत्तर — अंचल अधिकारी बसिया के पत्रांक 267 दिनांक 25.02.2002 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जिसके सामान्य जाति के जमीन विक्रेता विपक्षीगण से 10000.00 रुपए लेकर विपक्षीगण को जमीन बिक्री कर दिये हैं जिसका रजिस्ट्री पट्टा संख्या 499 दिनांक 13.03.2002 ई० है।

कंडिका 6 - उत्तर — खरीदगी जमीन में विपक्षीगण घर का निर्माण 2017-18 में किया गया है।

कंडिका 7- अंचल अधिकारी बसिया के संख्या 267 दिनांक 25.02.2002 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत है जिसके चीक सामान्य जाति के अन्तर्गत आते हैं जो आवेदक के चाचा लगन चीक पिता

— स्व० बलदेव चीके के नाम से बना है उसी के आधार पर आवेदक के चाचा लगन चीक ने विपक्षी को जमीन बिक्री कर कर दिया गया है। जिसका रजिस्ट्री पट्टा संख्या 499 दिनांक — 13.03.2002 है। उस वक्त आवेदक का उम्र 19 वर्ष से अधिक था।

अंचल कार्यालय, बसिया के पत्रांक 267 दिनांक 25.02.2002 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत है जिसके चीक सामान्य जाति के अन्तर्गत आते हैं। जमीन विक्रेता पट्टा सं० 499 दिनांक — 13.03.2002 में विपक्षीगण को जमीन बिक्री की है। उस समय आवेदक भी सामान्य जाति के अंतर्गत आते हैं। चूंकि आवेदक का जाति प्रमाण पत्र निर्गत अंचल अधिकारी बसिया के क्रमांक 079 दिनांक — 16.10.2015 है जो झारखंड सरकार राजभाषा विभाग रांची के पत्रांक 7/झा०नि०सं० 32/2000 का 6327/ रांची दिनांक — 20 नवम्बर 2002 ई० के आधार पर बना है। दिनांक 20 नवंबर 2002 ई० पूर्व आवेदक सामान्य जाति में आते हैं। दिनांक 20 नवंबर 2002 ई० के पूर्व विपक्षी का रजिस्ट्री पट्टा संख्या 499 दिनांक 13.03.2002 ई० का है इसलिए विपक्षी के विरुद्ध एस०ए०आर० लागू नहीं होना चाहिए। अंचल का जांच रिपोर्ट विपक्षी का समर्थन में जांच रिपोर्ट है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि विक्रेता लगन चीक सामान्य जाति का है। इसलिए वर्ष 2002 में बिक्री की गई रजिस्ट्री पट्टा जायज है। इसलिए आवेदक का आवेदन को खारीज किया जाय।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

- 1 रजिस्ट्री पट्टा की छाया प्रति।
- 2 ऑनलाईन रसीद की छाया प्रति।
- 3 जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, कागजात, दस्तावेजों की छायाप्रति के अवलोकन एवं बहस से स्पष्ट होता है कि वादगत भूमि मौजा लोंगा के खाता सं० 63, प्लॉट सं० 495, रकबा — 0.39 एकड़ से संबंधित है। विक्रेता के खतियान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनकी जाति चीक कौम दर्ज है। आवेदक ललु बड़ाईक का जाति प्रमाण पत्र जो कि अंचल अधिकारी, बसिया के क्रमांक 516 दिनांक 05.04.2002 द्वारा निर्गत है के अनुसार चीक जाति जो सामान्य जाति अन्तर्गत आता है। इस आधार पर वादगत भूमि का निबंधन एवं नामांतरण छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 46 अन्तर्गत उपायुक्त के अनुमति के बिना किया गया।

विक्रेता लगन चीक जो आवेदक के चाचा है द्वारा सामान्य जाति के आधार पर निबंधित बिक्री पट्टा सं० 499 दिनांक — 13.03.2002 द्वारा वादगत भूमि की बिक्री/हस्तान्तरण द्वितीय पक्ष के कलेश्वर साहु एवं धनेश्वर साहु को किया गया। तदोपरांत अंचल कार्यालय, बसिया द्वारा दाखिल खारीज वाद संख्या — 115R27/2003-04 द्वारा वादगत भूमि का नामांतरण किया गया एवं शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। द्वितीय पक्ष को सरकारी मालगुजारी रसीद भी निर्गत किया गया। बाद में झारखंड सरकार राजभाषा विभाग रांची के पत्रांक —7/झा०नि०सं० 32/2000 का 6327/ रांची दिनांक — 20 नवम्बर 2002 ई० में एवं उपायुक्त, गुमला के पत्रांक — 275 (ii)/सा०शाखा, गुमला दिनांक — 10.04.2013 के आलोक में स्थानीय जांच, रहन-सहन, वेश-भूषा खान-पान, लोकाचार तथा संस्कृति के आधार पर आवेदक ललु

बड़ाईक को झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति में चीक बड़ाईक जाति प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी, बसिया द्वारा क्रमांक— 079 दिनांक 26.10.2015 को निर्गत किया गया, परन्तु वादगत भूमि के बिक्री के समय बिक्रेता (प्रथम पक्ष) सामान्य जाति के थे एवं क्रेता (द्वितीय पक्ष) द्वारा वैध तरीके से निबंधित विक्रय पट्टा, नामांतरण कराकर भूमि के दखल में है। अतः यह वादगत भूमि के कपटपूर्ण ढंग से हस्तानांतरण का मामला सिद्ध नहीं होता है। अतः प्रथम पक्ष ललु बड़ाईक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बसिया (गुमला)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया (गुमला)।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, बसिया को सूचनार्थ प्रेषित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बसिया (गुमला)